रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04112023-249877
CG-DL-E-04112023-249877

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 635]	नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 3, 2023/कार्तिक 12, 1945
No. 635]	NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 3, 2023/KARTIKA 12, 1945

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 नवम्बर, 2023

सा.का.नि. 815(अ).—केंद्र सरकार, केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 में निम्नलिखित कुछ प्रारूप नियमों में मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 56(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और संशोधन करने का प्रस्ताव करती है, जिनको उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) के द्वारा यथावश्यक इसके द्वारा प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतदद्वारा नोटिस दिया जाता है कि प्रारूप नियमों को उस तारीख से तीस दिन की अवधि समाप्त होने के बाद विचारार्थ स्वीकार कर लिया जाएगा जिसको सरकारी राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता के लिए उपलब्ध करायी जाती हैं;

इन प्रारूप नियमों के प्रति आपत्तियों एवं सुझावों, यदि कोई हो, को अपर सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 या ईमेल: comments-morth@gov.in, के माध्यम से भेजा जा सकता है।

विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त होने के पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों या सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ -** (1) इन नियमों को केन्द्रीय मोटर यान (... ...संशोधन) नियमावली, 2023 कहा जाएगा।

(2) ये अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. केंद्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 और इसके संशोधन, 2022 (इसके बाद उक्त नियमों के रूप में उल्लिखित) में नियम 174 के उप-नियम (1) में,

(क) क्रम संख्या (iv) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"पंजीकरण प्राधिकारी" से तात्पर्य है राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के परिवहन या उद्योग विभाग में कोई अधिकारी, जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा नामित आयुक्त के पद से नीचे का न हो। यदि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में उद्योग आयुक्त या परिवहन आयुक्त के समकक्ष पद नहीं है तो उद्योग निदेशक या परिवहन निदेशक को पंजीकरण प्राधिकारी के रूप में नामित किया जा सकता है। पंजीकरण प्राधिकारी को स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के पंजीकरण के लिए प्रारंभिक पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने, इस अध्याय के तहत पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने और नवीनीकरण करने का अधिकार दिया जाएगा।

(ख) क्रम संख्या (v) का विलोपन किया जाएगा।

(ग) क्रम संख्या (vi), (vii) और (viii) को क्रमशः (v), (vi) और (vii) पढ़ा जाएगा।

(घ) क्रम संख्या (ix) का विलोपन किया जाएगा।

(ङ) क्रम संख्या (x) में, "सुविधा प्रदान करने" शब्द के स्थान पर "सुनिश्चित करने वाला" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(च) क्रम संख्या (x) और (xi) को क्रमशः (viii) और (ix) पढ़ा जाएगा।

3. उक्त नियमों के नियम 176 में,

(क) उप-नियम (3) के, क्रम संख्या (iii) में, "स्थायी खाता संख्या" शब्दों के पश्चात्, "या वैध कर कटौती खाता संख्या, जैसा लागू हो" शब्द अंतःस्थापित किया जाएगा।

(ख) उप-नियम (4) का विलोपन किया जाएगा।

(ग) उप-नियम (5) में, "और ऐसी संस्थाओं को नियम 176, उप-नियम (4) के उप-नियम (4) में विनिर्दिष्ट वित्तीय मानदण्ड को पूरा करने से भी छूट दी जाएगी" का विलोपन किया जाएगा।

(घ) उप-नियम (5) को उप-नियम (4) पढ़ा जाएगा।

4. उक्त नियमों के नियम 177 में, उप-नियम (2) के लिए, "वाहन या ऑटोमोबाइल पुर्जों" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे:

"या वाहनों को स्क्रैप करना। हालांकि, एटीएस को अन्य सभी गैर-असंगत सेवाएं जैसे कैफेटेरिया, चालक प्रशिक्षण केंद्र, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, बीमा कियोस्क आदि (इस उप-नियम में सूचीबद्ध गैर-असंगत सेवाओं की सूची सांकेतिक और संपूर्ण नहीं है) प्रदान करने की अनुमति दी जाएगी।

5. उक्त नियमों के नियम 178 में,

(क) उप-नियम (1) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"परीक्षण के उद्देश्य से उपयोग किए जाने वाले किसी भी सुविधा केंद्र में तालिका-क के अनुसार लेन आयाम वाली परीक्षण लेन स्थापित करने के लिए पर्याप्त क्षेत्र होना चाहिए। एटीएस के लिए कुल सांकेतिक क्षेत्र पांच सौ वर्ग मीटर प्रति दोपहिया परीक्षण लेन और एक हजार पांच सौ वर्ग मीटर प्रति तीन पहिया या हल्के या मध्यम या भारी मोटर वाहन परीक्षण लेन होगा। समग्र सांकेतिक क्षेत्र में परीक्षण लेन (तालिका-क में दिए गए आयामों के अनुसार), स्वागत या सूचना केंद्र, प्रतीक्षा क्षेत्र, सूचना प्रौद्योगिकी सर्वर, वर्कस्टेशन, प्रसाधन कक्ष, वाहनों के लिए पार्किंग और दृश्य निरीक्षण क्षेत्र सहित प्रशासनिक ब्लॉक और उपयोगिता सुविधाओं के लिए क्षेत्र शामिल होंगे। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सुविधा केंद्र के लेआउट, भौगोलिक स्थिति और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुविधा केंद्र के लिए समग्र सांकेतक क्षेत्र की आवश्यकता में छूट दे सकते हैं, जो तालिका-क में विनिर्दिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने वाले लेन आयामों पर निर्भर करता है।"

(ख) उप-नियम (5) में, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"किसी स्वचालित परीक्षण स्टेशन में परीक्षण के लिए लाए गए वाहनों की पार्किंग और निर्बाध आवाजाही के लिए पर्याप्त क्षेत्र होगा। एटीएस ऑपरेटर द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की वेबसाइट https://vahan.parivahan.gov.in/AFMS/#/faq पर उपलब्ध एसओपी के अनुसार आवश्यक साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्र प्राप्त किए जाएंगे"

6. उक्त नियमों में नियम 179 के उप-नियम (1) में, तालिका-ख के स्थान पर निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

क्र.सं.	पद	आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति	न्यूनतम योग्यता
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	केंद्र प्रमुख/प्रबंधक	1	ऑटोमोबाइल या मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग या संबंधित विषयों में स्नातक या डिप्लोमा के साथ कम से कम पांच साल का पेशेवर अनुभव जिसमें वाहन निरीक्षण, विनिर्माण या मरम्मत का कम से कम दो साल का अनुभव शामिल है और अधिनियम तथा उसके तहत बनाए गए नियमों, विशेष रूप से मोटर वाहनों और निर्माण के पंजीकरण से संबंधित अध्याय, उपकरण और मोटर वाहनों के रखरखाव का गहन ज्ञान होना चाहिए।
2.	सूचना प्रौद्योगिकी प्रभारी/प्रणाली विश्लेषक	1 (2 लेन तक) 2 (4 लेन तक)	कंप्यूटर एप्लीकेशन में परास्नातक या इंजिनीयरिंग स्नातक या टेक्नोलॉजी स्नातक या कंप्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी या इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या संबंधित विषय में डिप्लोमा के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन या संस्थान से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्किंग में कम से कम तीन साल का अनुभव।
3.	डाटा एंट्री ऑपरेटर	1	कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान के साथ किसी भी विषय में स्नातक डिग्री या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा।
4.	चालक (हल्के मोटर वाहन / भारी मोटर वाहन)	प्रति लेन प्रति पारी 2	ड्राइविंग लाइसेंस के साथ कम से कम पांच साल का ड्राइविंग अनुभव (हल्के मोटर वाहन या भारी मोटर वाहन) होना चाहिए।
5.	लेन प्रभारी/पर्यवेक्षक	प्रति पारी प्रत्येक 2 लेन के लिए 1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर मैकेनिक्स में डिप्लोमा या किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन या संस्थान से मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम में डिप्लोमा के साथ ऑटोमोबाइल मरम्मत और रखरखाव का कम से कम तीन साल का अनुभव।
6.	लेन ऑपरेटर	प्रति लेन प्रति पारी1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से मोटर मैकेनिक्स में डिप्लोमा या किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन या संस्थान से इलेक्ट्रिकल या कंप्यूटर स्ट्रीम में डिप्लोमा के साथ ऑटोमोबाइल मरम्मत और रखरखाव का कम से कम दो साल का अनुभव।

7.	रखरखाव तकनीशियन	प्रति पारी प्रत्येक 2 लेन के लिए 1	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से एयर कंडीशनिंग और रेफ्रिजरेशन डिप्लोमा या औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रीशियन या किसी भी मान्यता प्राप्त संगठन या संस्थान से मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा के साथ इलेक्ट्रिकल रखरखाव का कम से कम दो साल का अनुभव।

7. उक्त नियमों के नियम 180 में, उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"प्रारंभिक पंजीकरण प्रमाण पत्र हस्तांतरणीय नहीं होगा। हालांकि, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से छह महीने समाप्त होने के बाद हस्तांतरणीय हो जाएगा।

8. उक्त नियमों के नियम 182 में,

(क) उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(1) वाहन, जो नियम 189 के टिप्पणों की क्रम संख्या (क) में निर्दिष्ट किसी भी परीक्षण में विफल रहते हैं, के पंजीकृत मालिक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को उपयुक्त कार्यशाला से त्रुटियों (जैसा कि पिछले निरीक्षण के दौरान पहचाना गया था) को ठीक कराने के बाद प्रारंभिक परीक्षण परिणाम के 180 दिनों के भीतर पुन: कई परीक्षणों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। पिछले परीक्षण की तारीख से 180 दिनों के भीतर (परीक्षण की तारीख को छोड़कर) यदि वाहन का परीक्षण नहीं किया जाता है, तो वाहन को एंड-ऑफ-लाइफ वाहन (ईएलवी) के रूप में घोषित किया जाएगा और वाहन में ईएलवी के रूप में चिंहित किया जाएगा।"

(ख) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"(2) वाहन, जो नियम 189 टिप्पणों के क्रम संख्या (ख) में निर्दिष्ट किसी भी परीक्षण में विफल रहते हैं, के पंजीकृत मालिक या अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता को पुन: कई परीक्षणों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी।"

(ग) उप-नियम (3) और (4) का विलोपन किया जाएगा।

9. उक्त नियमों के नियम 183 के स्थान पर निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे:

"183. परीक्षण के कुशल संचालन और अखंडता की जिम्मेदारी: (1) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में एटीएस स्थित है, यह सुनिश्चित करेगा कि एटीएस का संचालन उस स्टेशन के ऑपरेटर द्वारा स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियंत्रण के नियमों के अनुसार किया जाए। इन नियमों के अनुसार परीक्षण प्रक्रिया का अनुपालन और परीक्षण परिणामों की अखंडता कायम रखी जाएगी।

(2) ऐसे स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के कुशल कार्यकरण की समग्र जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के पंजीकरण प्राधिकरण की होगी।"

10. उक्त नियमों के नियम 184 में,

(क) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा:

"स्वचालित परीक्षण स्टेशन का संचालक निर्धारित आवधिकता और तरीके के अनुसार इस तरह के ऑडिट और आकलन करने के लिए मान्यता प्राप्त एजेंसी राष्ट्रीय परीक्षण और अंकशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य एजेंसी द्वारा सुविधा केंद्र का ऑडिट और मूल्यांकन सुनिश्चित करवाएगा।"

11. उक्त नियमों के नियम 188 में, तालिका-ग में, क्रम संख्या 6 का विलोपन किया जाएगा।

12. उक्त नियमों के नियम 188 में, तालिका-ग में, क्रम संख्या 7 को क्रम संख्या 6 पढ़ा जाएगा।

13. उक्त नियमों के नियम 189 में टिप्पणों के भाग (1) (2) (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित भाग प्रतिस्थापित किए जाएंगे:

"(क) यदि कोई वाहन क्रम संख्या 1, 11, 12 (क), 13, 17 (ख), 31, 32, 34, 35, 37 और 38 में निर्दिष्ट किसी भी परीक्षण (परीक्षणों) में विफल रहता है, तो ऐसे वाहन को अनफिट घोषित किया जाएगा और निर्धारित फिटनेस परीक्षण शुल्क का भुगतान करने के बाद प्रारंभिक परीक्षण तारीख से 180 दिनों के भीतर (परीक्षण के दिन को छोड़कर) पुन: कई परीक्षणों के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जाएगी। यदि वाहन की प्रारंभिक

परीक्षण तारीख (परीक्षण के दिन को छोड़कर) से 180 दिनों के भीतर परीक्षण नहीं किया जाता है, तो इसे एंड-ऑफ-लाइफ वाहन (ईएलवी) घोषित किया जाएगा।

(ख) यदि कोई वाहन उपरोक्त (क) में सूचीबद्ध परीक्षणों के अलावा और क्रम संख्या 14, 15, 16, 17 (क) और 39 (ऐसे परीक्षण जिनका वाहन की फिटनेस की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वाहन के इष्टतम प्रदर्शन के लिए वाहन मालिक को परीक्षण कराने की सिफारिश की जाती है) को छोड़कर, किसी अन्य परीक्षण में विफल रहता है, तो ऐसे वाहन को अनफिट घोषित किया जाएगा। निर्धारित फिटनेस परीक्षण शुल्क का भुगतान करने के बाद ऐसे वाहन के पुन: कई परीक्षण किए जा सकते हैं।

(ग) यदि कोई वाहन क्रम संख्या 14, 15, 16, 17 (क) और 39 (जिनका वाहन की फिटनेस की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वाहन के इष्टतम प्रदर्शन के लिए वाहन मालिक को परीक्षण कराने की सिफारिश की जाती है) को छोड़कर सभी परीक्षणों में सफल रहता है, तो उसे फिट घोषित किया जाएगा।"

14. उक्त नियमों के नियम 189 में, टिप्पणों के भाग (5) को भाग (घ) पढ़ा जाएगा।

15. उक्त नियमों के नियम 190 में,

(क) तालिका-च के उप-नियम (5) में, कॉलम शीर्ष में, "हल्के वाणिज्यिक वाहन" शब्दों के पश्चात्, "और हल्के मोटर वाहन" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

(ख) तालिका-च के उप-नियम (5) में, क्रम संख्या (1) की मद संख्या (ड.) में मध्यम और भारी वाणिज्यिक वाहनों के लिए "उठाने और ब्रेक लगाने" शब्दों के स्थान पर "उठाने या ब्रेक लगाने" शब्द प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(ग) तालिका-छ के उप-नियम (6) में, क्रम संख्या (8) के बिंदु (ख) और (ग) का विलोपन किया जाएगा और निम्नलिखित जोड़ा जाएगा:

"(ख) अंतर्निहित वाई-फाई और जीपीएस सपोर्ट जो जीपीएस कोऑर्डिनेट्स के साथ छवियों की जियो-टैगिंग की अनुमति देता है"

16. उक्त नियमों के प्रपत्र 63 में,

(क) क्रम संख्या 2, मद संख्या च में, "पैन" शब्द के पश्चात्, "/टैन, जैसा लागू हो" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा।

(ख) क्रम संख्या 3 में, कॉलम शीर्ष में, "/ 3-पहिया" शब्द का विलोपन किया जाएगा

(ग) क्रम संख्या 3 में, कॉलम शीर्ष में, "हल्के मोटर वाहन" शब्दों के पश्चात्, "/ 3-व्हीलर" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा।

17. उक्त नियमों के प्रपत्र 64 में,

(क) क्रम संख्या 2, मद संख्या च में, "पैन" शब्द के बाद, "/टैन, जैसा लागू हो" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा।

(ख) क्रम संख्या 3 में, कॉलम शीर्ष में, "/ 3-पहिया" शब्द का विलोपन किया जाएगा

(ग) क्रम संख्या 3 में, कॉलम शीर्ष में, "हल्के मोटर वाहन" शब्दों के पश्चात्, "/ 3-पहिया" शब्द अंत:स्थापित किया जाएगा।

18. उक्त नियमों के प्रपत्र 68 का विलोपन किया जाएगा।

19. उक्त नियमों के प्रपत्र 69 में, कॉलम 9 के कॉलम शीर्ष में, "परीक्षण स्थिति (प्रारंभिक परीक्षण / पहला पुन: परीक्षण / दूसरा पुन: परीक्षण" शब्द के स्थान पर "प्रारंभिक / अंतिम परीक्षण का परिणाम" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा।

[सं. आरटी-16011/3/2023-टी]

महमूद अहमद, अपर सचिव

टिप्पण: मूल नियम अधिसूचना संख्या सा.का.नि. ....(अ), दिनांक ....के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और पिछली बार अधिसूचना संख्या ....(अ) दिनांक ………… के माध्यम से संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd November, 2023

G.S.R. 815(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 56 (2) of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification, as published in the Official Gazette, are made available to the public;

Objections and suggestions to these draft rules, if any, may be sent to the Addl. Secretary (Transport), email: comments-morth@gov.in, Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110 001.

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period will be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (….. Amendment) Rules, 2023.

(2) They shall come into force from the date of publication of the notification.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, and its amendments, 2022 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 174, sub-rule (1),

(a) For serial number (iv), the following shall be substituted:

" "Registering authority" means any officer in State/UT Transport or Industries Department, not below the rank of Commissioner, as nominated by the State/UT Government. Director of Industries or Director of Transport may be nominated as the registering authority in case the State/UT does not have a position equivalent to Commissioner of Industries or Commissioner of Transport. The registering authority shall be empowered to issue Preliminary Registration Certificate, issue and renewal of Registration Certificate under this chapter for the registration of automated testing stations;"

(b) Serial number (v) shall be omitted.

(c) Serial number (vi), (vii) and (viii) shall be read as (v), (vi) and (vii) respectively

(d) Serial number (ix) shall be omitted.

(e) In serial number (x), for the word "facilitating", the word "ensuring" shall be substituted.

(f) Serial number (x) and (xi) shall be read as (viii) and (ix) respectively.

3. In rule 176 of the said rules,

(a) In sub-rule (3), in serial number (iii), after the words "Permanent Account Number", the words "or valid Tax Deduction Account Number, as applicable" shall be inserted.

(b) Sub-rule (4) shall be omitted.

(c) In sub-rule (5), the words "and such entities shall also be exempt from meeting financial criterion specified in sub-rule (4) of rule 176, sub-rule (4)" shall be omitted.

(d) Sub-rule (5) shall be read as sub-rule (4).

4. In rule 177 of the said rules, for sub-rule (2), after the words "vehicles or automobile spares.", the following words shall be inserted:

"or scrapping of vehicles. However, the ATS shall be allowed to provide all other non-conflicting services, such as cafeteria, driver training centers, departmental stores, insurance kiosks, etc. (The list of non-conflicting services listed in this sub-rule is indicative and non-exhaustive)."

5. In rule 178 of the said rules,

(a) In sub-rule (1), the following shall be substituted:

"Any facility to be used for the purpose of testing shall have sufficient area to establish testing lanes having lane dimension as per Table-A. The total indicative area for an ATS shall be five hundred square meters per two-wheeler test lane and one thousand five hundred square meters per three-wheeler or Light or Medium or Heavy Motor Vehicle test lane. The overall indicative area shall include the test lanes (as per dimensions given in Table-A), administrative block including reception or information centre, waiting area, Information technology server, workstation, washrooms, parking and visual inspection area for vehicles, and the area for utilities. The State/UT may relax the

requirement of overall indicative area for a facility keeping in consideration the layout of the facility, geographical location and local conditions, subject to lane dimensions meeting the requirements specified in Table-A.”

(b) In sub-rule (5), the following shall be substituted:

“An automated testing station shall have adequate area for parking and free movement of vehicles brought for testing. The necessary cyber security certifications shall be obtained by the ATS operator as per SOP available on the website of National Informatics Centre (NIC) at https://vahan.parivahan.gov.in/AFMS/#/faq”

6. In rule 179 of the said rules, in sub-rule (1), for Table-B the following table shall be substituted, namely:-

Sl. No.	**Designation**	**Minimum manpower requirement**	**Minimum Qualification**
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Centre Head/Manager	1	Graduate or Diploma in Automobile or Mechanical or Electrical or Electronic Engineering or related disciplines with at least five years of professional experience which includes at least two years of experience in vehicle inspection, manufacturing or repair and shall have thorough knowledge of the Act and the rules made thereunder, especially the chapters relating to registration of motor vehicles and construction, equipment, and maintenance of motor vehicles.
2.	Information technology in charge/System Analyst	1 (up to 2 Lanes) 2 (up to 4 lanes)	Master of Computer Application or Bachelor of Engineering or Bachelor of Technology or Diploma in Computer Science or Information technology or Electronics and Communication Engineering or related disciplines with at least three years of experience in Hardware, software and Networking from any recognised organisation or institution.
3.	Data Entry Operator	1	Any Graduation Degree or Diploma in Computer Application with basic computer knowledge.
4.	Driver (Light Motor Vehicle/Heavy Motor Vehicle)	2 per lane per shift	Driving license with minimum five years of driving experience (Light Motor Vehicle or Heavy Motor Vehicle).
5.	Lane in charge/ Supervisor	1 for every 2 lanes per shift	Industrial Training Institute Diploma in Motor Mechanics or Diploma in Mechanical or automobile or electrical stream with minimum three years of experience in automobile repair and Maintenance from any recognised organisation or institution.
6.	Lane Operator	1 per lane per shift	Industrial Training Institute Diploma in Motor Mechanics or Electrical or Computer stream with minimum two years of experience in automobile repair and maintenance from any recognised organisation or institution.
7.	Maintenance Technician	1 for every 2 lanes per shift	Industrial Training Institute Diploma in Air Conditioning and Refrigeration or Industrial Training Institute Electrician or Diploma in Mechanical or Electrical, with minimum two years of experience in electrical Maintenance from any recognized organisation or institution.

7. In rule 180 of the said rules, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted namely:-

"The Preliminary Registration Certificate shall not be transferable. The Registration Certificate, however, shall become transferable after expiry of six months from the date of issuance."

8. In rule 182 of the said rules,

(a) For sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted:

"(1) The registered owner or authorised signatory of the vehicle that fails any of the test(s) specified in serial number (a) of Notes in rule 189 shall be allowed to apply for multiple re-tests within 180 days of initial test result, after getting the defects (as identified during the last inspection) rectified from a suitable workshop. If the vehicle is not tested within 180 days from the date of previous test (excluding the date of test), the vehicle shall be declared as End-of-Life Vehicle (ELV) and flagged in the VAHAN as ELV."

(b) For sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted:

"(2) The registered owner or authorised signatory of the vehicle that fails any of the tests specified in serial number (b) of Notes in rule 189 shall be allowed to apply for multiple re-tests."

(c) Sub-rule (3) and (4) shall be omitted.

9. For rule 183 of the said rules, following rule shall be substituted:

"**183. Responsibility of efficient operations and integrity of the test:** (1) The Regional Transport Officer in whose jurisdiction the ATS is located shall ensure that the operation of ATS shall be conducted by the operator of that station in accordance with rules for Recognition, Regulation and Control of Automated Testing Station. The compliance to the testing procedure and the integrity of the test results shall be maintained in accordance with these rules.

(2) The Registering Authority of State/UT shall have the overall responsibility for the efficient functioning of such Automated Testing Stations."

10. In rule 184 of the said rules,

a) For sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted:

"The Operator of Automated Testing Station shall ensure audit and assessment of the facility by a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratory accredited agency or any other agency notified by the Central Government for conducting such audits and assessments as per the laid down periodicity and manner."

11. In rule 188 of the said rules, in Table-C, serial number 6 shall be omitted.

12. In rule 188 of the said rules, in Table-C, Serial number 7 shall be read as Serial number 6.

13. In rule 189 of the said rules, for part (1) (2) (3) and (4) of the notes, the following parts shall be substituted:

" (a) If a vehicle fails any of the test(s) specified in serial number 1, 11, 12(a), 13, 17(b), 31, 32, 34, 35, 37 and 38, such vehicle shall be declared as Unfit and shall be allowed to apply for multiple re-tests within 180 days from initial test date (excluding the day of test), after paying prescribed fitness testing fee. If the vehicle is not tested within 180 days from the initial test date (excluding the day of test), it shall be declared as End-of-Life Vehicle (ELV).

(b) If a vehicle fails any of the test(s) other than those listed in (a) above and except serial number 14, 15, 16, 17(a) and 39 (tests which have no bearing on the fitness status of a vehicle but are recommended to be fixed by vehicle owner for optimal vehicle performance), such vehicle shall be declared as Unfit. Such vehicle may undergo multiple re-tests, after paying the prescribed fitness testing fee.

(c) If a vehicle passes all the tests except serial number 14, 15, 16, 17(a) and 39 (which have no bearing on the fitness status of a vehicle but are recommended to be fixed by vehicle owner for optimal vehicle performance), it shall be declared as fit."

14. In rule 189 of the said rules, part (5) of the notes shall be read as part (d).

15. In rule 190 of the said rules,

(a) In sub-rule (5) for Table-F, in the column header, after the words "Light Commercial Vehicles", the words "and Light Motor Vehicles" shall be inserted.

(b) In sub-rule (5) in Table-F, in serial number (1), for Medium and Heavy Commercial Vehicles, in item number (e), the words "lifting and braking" shall be substituted by "lifting or braking".

(c) In sub-rule (6) in Table-G, in serial number (8), points (b) and (c) shall be omitted and following shall be added:

"(b) Built-in Wi-Fi and GPS support that allows geo-tagging of images with GPS coordinates"

16. In form 63 of the said rules,

(a) In serial number 2, item number f., after the word "PAN", the word "/ TAN, as applicable" shall be inserted.

(b) in serial number 3, in the column header, the words "/ 3-Wheeler" shall be omitted

(c) in serial number 3, in the column header, after the words "Light Motor Vehicle", the words "/ 3-wheeler" shall be inserted

17. In form 64 of the said rules,

(a) In serial number 2, item number f., after the word "PAN", the word "/ TAN, as applicable" shall be inserted

(b) in serial number 3, in the column header, the words "/ 3-Wheeler" shall be omitted

(c) in serial number 3, in the column header, after the words "Light Motor Vehicle", the words "/ 3-wheeler" shall be inserted

18. Form 68 of the said rules shall be omitted.

19. In form 69 of the said rules, in the column header of column 9, the words "Test Status (Initial Test/1st Re-test/2nd Re-test" shall be substituted with the words "Result of Initial/last Test".

[No. RT-16011/3/2023-T]

MAHMOOD AHMED, Addl. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide notification number G.S.R. ….(E), dated ….. and lastly amended vide notification number G.S.R. ….(E), dated …..

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA